

सांकेतिक जलवायु आपातकाल, निराशाजनक रवैया: कुछ सुझाव

डॉ. मनि बंसल,
एसोसिएट प्रोफेसर,
दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय,
मुरादाबाद
ईमेल - manibansal53@gmail.com

डॉ. अनुज कुमार अग्रवाल,
एसोसिएट प्रोफेसर,
तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय,
मुरादाबाद
ईमेल - anuj108k@gmail.com

हमने अपने जीवन में बहुत से आपातकाल सुने और देखे हैं, लेकिन अंधाधुंध विकास की दौड़ और प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त दोहन करने के कारण हमने एक विशिष्ट आपातकाल को स्वयं ही अपने ऊपर ओढ़ लिया है। हमने प्रकृति को छिन्न-भिन्न कर दिया है, यहां तक कि मौसमी चक्र भी गड़बड़ा गया है।

पूरे विश्व में मौसम चाहे वह हिमपात, वर्षा या ऊष्णता किसी का भी हो, जनमानस को आकुल करने वाला है। यह अति मौसम हर क्षेत्र और स्थिति को प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग अवधारणा पेश करते हुए जलवायु परिवर्तन पर मुहर लगाई है। अगर हमने गैसों का उत्सर्जन काबू में नहीं किया तो हमारी धरती को आग का गोला बनते देर नहीं लगेगी। मौसम के बदलते ही अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। दुनिया भर के कई देशों में इन हालातों पर स्वतः ही आन्दोलन जैसी स्थितियां आ गई हैं।

संयुक्त राष्ट्र से इस मसले पर कदम उठाने के लिए स्वीडन की 16 साल की बेटा ग्रेटा थुनबर्ग का आंदोलन आज हर उम्र के व्यक्ति की जुबान पर है। ग्रेटा ने दुनियाभर के बच्चों और आज की युवा पीढ़ी की आवाज को सामने रखते हुए कहा कि युवाओं को समझ में आ रहा है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आपने हमें छला है और अगर आपने कुछ नहीं किया तो युवा पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। ग्रेटा ने अपने भाषण में कहा, "आपने हमारे सपने, हमारा बचपन अपने खोखले शब्दों से छीना. हालांकि, मैं अभी भी भाग्यशाली हूँ. लेकिन लोग झेल रहे हैं, मर रहे हैं, पूरा ईको सिस्टम बर्बाद हो रहा है।" हम सामूहिक विलुप्ति की

कगार पर हैं और आप पैसों और आर्थिक विकास की काल्पनिक कथाओं के बारे में बातें कर रहे हैं। आपने साहस कैसे किया?" ग्रेटा ने कहा कि दुनिया जाग चुकी है और आपको यहां इसी वक्त लाइन खींचनी होगी।

भारत में भी सुप्रीम कोर्ट में जलवायु आपातकाल लागू करने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। याचिका में गैसों का उत्सर्जन शून्य स्तर पर लाना सुनिश्चित किया जाए, ऐसी मांग को रखा गया है। गैसों का यह उत्सर्जन नियंत्रण करना मुश्किल नहीं है। जब हमारा छोटा सा पड़ोसी देश भूटान कार्बन निगेटिव हो सकता है तो हम भारतीय क्यों नहीं? भूटान में जितना कार्बन उत्सर्जन होता है उससे ज्यादा ऑक्सीजन तैयार की जाती है। इसके लिए हमारे समाज और सरकार को कमर कसनी होगी। वैसे भी भूटान का प्रकृति प्रेम दुनिया को बहुत कुछ सिखाता है। भारत में प्रकृति को भिन्न भिन्न रूपों में पूजा जाता है, परन्तु उसके संरक्षण को लेकर बहुत उदासीनता दिखाई देती है। भूटान क्षेत्रफल में बहुत छोटा है, मात्र हमारे देश के एक छोटे से राज्य केरल के बराबर रकवा रखता है। लेकिन भूटान का 70 प्रतिशत हिस्सा हरियाली से आच्छादित है जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जो अपने वनों को बचाने के लिए संवैधानिक प्रावधान का जज्बा रखता है। भूटान में इमारती लकड़ियों के निर्यात पर भी रोक है। इतना ही नहीं समस्त बिजली जरूरतों के लिए पनबिजली ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, शेष बिजली पड़ोसी देशों को भी बेची जाती है। देश भर में कार्बनिक खेती की जाती है, साथ ही 2030 तक कचरा मुक्त देश का भी मिशन बना रखा है।

कचरे से निपटने के लिए भारत में भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में स्टैबलाइजिंग व बायो माइनिंग की जा रही है ताकि तापमान को कम किया जा सके। इसमें कचरे को हवा के सम्पर्क में लाकर जीवाणु विघटन किया जाता है, इससे कचरा जैविक खाद में बदल जाता है। इस प्रक्रिया से घातक दुर्गंध और तरल कचरे से बाहर नहीं निकलते हैं। यह प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक कचरे का पूरा ढेर समाप्त न हो जाए। जानी मानी पर्यावरणविद् अलमित्रा पटेल जी का भी मानना है कि कचरे के ढेर से ग्रीनहाउस गैस

मीथेन बनती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 21 गुना अधिक नुकसानदायक है, साथ ही यह भी कहा कि कचरे से रिसने वाला तरल वहां के भूजल को 30 साल तक दूषित करता है।

आज के ऐसे कठिन समय में जब विश्व कोरोना जैसी महामारी के चलते पर्यावरणीय बदलाव भी महसूस कर रहा है, तब दुनिया के अगवा देश, अमेरिका के प्रमुख डोनाल्ड ट्रम्प ने अगर इस विषय पर अपनी नीति में बदलाव नहीं किया तो दुनिया में अव्यवस्था होनी तय है और फिर दुनिया में बहस एक नए सिरे से प्रारम्भ होगी। उस बहस के नतीजे क्या होंगे अभी उसका आकलन करना कठिन है, लेकिन इतना तय है कि पर्यावरण के लिए परिणाम अच्छे नहीं होंगे और दुनिया एक नए सिरे से दो धड़ों में बंटी दिखेगी। बीमारी को अगर नजर अंदाज किया जाएगा तो तय है कि वह बढ़कर नासूर ही बनेगी।

रमन कांत त्यागी, निदेशक, (नेचुरल एनवायरमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन) ने यह भी कहा कि वाहनों का उत्पादन व विक्री, एयरकंडीशंड का तापमान निश्चित करना, पानी उपयोग की मात्रा तय करना, कृषि क्षेत्र में परिवर्तन, पीपल व चौड़े पत्तों की प्रजाति के जंगल खड़े करना, उधोगों को कम पानी इस्तेमाल की ओर ले जाना ही कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है।

जलवायु परिवर्तन की विश्व व्यापी समस्या ने तब सबके होश उड़ा दिए जब यह खबर पता चली कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई 2050 तक समुद्र का जलस्तर बढ़ने से डूब जाएगी। पेरिस समझौते के अनुसार भारत को भी 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता के प्रतिशत को भी कम करना है। जिसके लिए अक्षय ऊर्जा और पांच तत्वों (पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश व वायु) के सदुपयोग के लिए भारत ने अपनी प्रतिवद्धता जाहिर की है। कार्बन पदछाप के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। लोगों को इस बात के लिए भी जागरूक करना है कि अपना घर प्रकृति के अनुसार बनाएं, जैसे - घर की छतों को सफ़ेद रंग से रंगें ताकि सूर्य की पराबैंगनी किरणें उससे टकराकर चली जाएं, वर्षाजल संरक्षण, प्रकाश और वायु की उपलब्धता हो ताकि बिजली-पानी बच सके।

सरकार की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, जैसे पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 को ही ले लीजिए, सरकार विरोधी प्रतिक्रियाओं में इसके नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई गई हैं। यह आरोप लगाया गया है और एक हद तक तो आंदोलन जैसी स्थिति पैदा हुई है। उनका मानना है कि विकास का मतलब जी डी पी ग्रोथ , रूपया पैसा, सड़क, बिजली पानी, स्कूल, अस्पताल ही नहीं होता । उसका मतलब होता है जिम्मेदारी और प्रजा की खुशियां जो उसे जीवन जीने में मदद करे।

सत्तारूढ़ सरकार पर्यावरण के उन नियमों को विकास में बाधा के तौर पर देखती है और एक नया प्रारूप तैयार करती है। जैसा कि नाम रखा गया “एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट” यानी ऐसा मूल्यांकन जो पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को बतायेगा। दुर्भाग्यवश आजादी के बहुत लम्बे समयांतराल के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया, तब से अब जाकर इसमें फेरबदल होने जा रहा है। इन बदलावों का विरोधी दलों द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। सबसे ज्यादा विरोध पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के नियमों से जुड़ा हुआ है। विरोधी दलों का मानना है कि पर्यावरण कार्यकर्ताओं की विशेष राय नहीं ली गई है। यह तो मात्र एक एक्ट है, परन्तु एनवायरमेंट से जुड़े अनेकों एक्ट पास हुए। 1972 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (स्टाकहोम) के बाद भारत का ध्यान पर्यावरण संरक्षण पर ज्यादा केन्द्रित हुआ।

एक राष्ट्रीय पर्यावरण नियंत्रण नीति बनाई गई। समय समय पर अनेकों अधिनियम और नीतियां बनाई गई जैसे वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, कृषक अधिकार अधिनियम 2001, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन्य जीवन संरक्षण संशोधन 2002, जीवनवन अधिकार मान्यता नियम 2006, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010, आदि बहुत से कानून और अधिनियम बनें परन्तु महत्त्व किसी को भी नहीं

दिया गया। 2001 से 2011 तक, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम बनाए गए, जिनका काम एसिड बैटरियों से प्राप्त ई कचरे का उचित प्रबंध था, परन्तु दुर्भाग्यवश उस पर भी गम्भीरता नहीं दिखाई गई।

विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद् अनिल जोशी जी का मानना है कि सिर्फ कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। हमने एक के बाद एक कई कानून बनाए पर हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए आंकलन में हम उन 20 अग्रणी देशों में से एक हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित पाए गए।

दैनिक जागरण अखबार के प्रतिष्ठित स्तम्भकार संजय गुप्ता जी का भी मानना है कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर हमारा यह निराशाजनक रवैया हम सभी पर भारी पड़ेगा। इस मुद्दे पर केन्द्र और राज्य सरकारों को नियंत्रण हेतु सख्त कदम उठाने चाहिए।

हमारा सरकारी तंत्र भी बहुत उदासीन है। अगर कोई बैठक आयोजित की जाती हैं तो न तो कोई अधिकारी और न कोई नेता ही पहुंचता है, सिर्फ कागजों की औपचारिकताएं पूरी कर दी जाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूषित हवा का ही लें तो सिर्फ पंजाब में पराली को जलाने और दीपावली पर पटाखों को उसका कारण मान कर पल्ला झाड़ लिया जाता है। वास्तविकता की अगर बात की जाए तो पराली पर दोषारोपण ठीक है परन्तु इसके निस्तारण का एक भी उपाय किसानों तक नहीं पहुंचाया गया है। मोदी सरकार की उज्जवला योजना ने बहुत हद तक चूल्हों के धुएं से छुटकारा दिलाया है।

जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की आंखें तब खुली जब राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों पर अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया ने दिल्ली प्रदूषण को लेकर बहुत से सवाल खड़े कर दिए। कुछ समय बाद पर्यावरण नियंत्रण हेतु सम विषम योजना बनाई गई, परन्तु उसमें दोपहिया वाहनों को सम्मिलित नहीं किया गया, शायद यह एक बहुत बड़ी भूल थी।

वेदार्णा फाउंडेशन की निदेशक प्रियंका मलिक का भी मानना है कि पर्यावरण विश्वव्यापी समस्याओं में से एक है परन्तु भारत में वह भयावह रूप लेता जा रहा है। ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 10 प्रदूषित शहरों में से 7 शहर भारत के हैं। एक और अध्ययन के अनुसार शुद्ध वायु के मामलों में भी भारत का एक भी शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता।

अन्य कारणों की बात की जाए तो एक और बहुत बड़ा कारण सुदृढ़ यातायात व्यवस्था का न होना भी है। जाम के कारण भी डीजल पेट्रोल बर्बाद हो जाता है और उनसे निकलने वाला धुआं प्रदूषण को और बढ़ाता है। इस जलवायु परिवर्तन में बढ़ती जनसंख्या और प्रकृति का बेहिसाब दोहन भी महत्वपूर्ण कारक हैं। अतः सरकार को जनसंख्या नियंत्रण पर भी ठोस कदम उठाने चाहिए।

जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण जनमानस ही नहीं वल्कि पशु पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं जैसे साइबेरिया सहित तमाम दूर देशों से आने वाले पक्षियों ने भी भारत आना जाना कम कर दिया है। पक्षियों का यह पलायन कब इंसानों के पलायन में बदल जाय यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गर्भवती महिलाएं और गर्भ में पल रहे भ्रूण भी इसका शिकार हो रहे हैं। यह आपातकाल के संकेत नहीं है तो क्या हैं? अब बहुत जल्दी ही सख्त से सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है अन्यथा परिणाम बहुत नकारात्मक होंगे।

इस जलवायु परिवर्तन की आपातकालीन स्थिति के लिए हम इंसान ही गुनहगार हैं तो हल भी हम लोगों को ही निकालना होगा। सभी समाजों को कोशिश कर सरकारों का साथ देना चाहिए। हम अपनी दिखावटी जिंदगी पर हल्का हाथ रख कर , जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सरकारों पर शून्य कार्बन उत्सर्जन की एक मियाद तय करने का दबाव आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। लोगों में जागरूकता पैदा हो रही है कि इस दमघोटू जलवायु परिवर्तन को शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी में बदलना ही होगा। इसके लिए कानूनी वाध्यता ही एक मात्र सहारा है। दुनिया के कई देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया

ने 2016 दिसंबर में डेपरबिन शहर में आपातकाल घोषित कर दिया गया था। अक्टूबर 2019 तक दुनिया की 1143 स्थानीय सरकारों ने जलवायु आपातकाल को लागू कर दिया था।

भारत के पक्ष में जो एक बात मुझे तसल्ली देती है वह यह है कि जलवायु परिवर्तन पर हम अब बहुत गम्भीरता से काम कर रहे हैं। अंत में निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि सिर्फ कठोर कदम उठाने की देर है, जैसे अगर नेशनल क्लाइमेट एक्ट के तहत जलवायु आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे, अन्यथा केवल सांकेतिक आपातकाल से इस गंभीर और व्यापक समस्या का समाधान नहीं निकलते वाला है।

References:

1. थुनबर्ग ग्रेटा, “संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण भाषण”, 23 सितंबर, 2019, से उपलब्ध: <https://www.nbcnews.com/news/world/read-greta-thunberg-s-full-speech-united-nations-climate-action-n1057861>
2. कृष्णा ललिता, मीत अलीमित्र पटेल। "गार्बोलॉजिस्ट, जिसने भारत को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम दिए", 6 दिसंबर, 2019, <https://earthymatters.blog/2019/12/06/meet-almitra-patel-the-garbiologist-who-gave-india-solid-waste-management-rules/>
3. त्यागी रमन कांत, “नकारने से नासूर बन जाएगी मौसम परिवर्तन की समस्या”, 04 जून, 2020, <https://www.outlookhindi.com/view/general/write-up-by-nadiputra-raman-kant-tyagi-on-weather-change-problem-in-outlook-hindi-49320>
4. गोस्वामी उर्मी, “India signals it is ready to do more to slow down climate change”, 26 अगस्त, 2019, <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-says-it-will-do-more-to-slow-down-climate-change/articleshow/70813231.cms?from=mdr>.
5. पटनायक अमर, “Many problems with draft green impact assessment”, 20 मई, 2020, <https://www.newindianexpress.com/opinions/2020/may/20/many-problems-with-draft-green-impact-assessment-2145552.html>.

6. जोशी अनिल प्रकाश, “केवल कानून ही पर्याप्त नहीं”, 01 दिसंबर, 2019, अमर उजाला, मुरादाबाद में प्रकाशित लेख ।
7. गुप्ता संजय, “प्रदूषण नियंत्रण पर निराशाजनक रवैया”, नवंबर 17, 2019, दैनिक जागरण, मुरादाबाद में प्रकाशित लेख।
8. मलिक प्रियंका, “राष्ट्रव्यापी समस्या बनता प्रदूषण”, अक्टूबर 26, 2019, दैनिक जागरण, मुरादाबाद में प्रकाशित लेख।